आर.ई–अ.ज. : 47

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
विद्युत भवन,हाथी भाटा,जयपुर रोड़,अजमेर–305001

No - 3759.

कमांकःअ.वि.वि.नि.लि.,/अ.एवं प्र.नि/अ अ(योजना)/प्रे. दिनांकः 26 OCT 2002

आदेश —490.

राज्य में भयंकर अकाल एवं सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सामान्य कृषि श्रेणी के मीटर्ड सप्लाई उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया है कि ऐसे उपभोक्ताओं से वास्तविक विद्युत उपभोग के (के) आधार पर ही बिल वसूल किये जायें तथा मिनिमम बिलिंग एवं वास्तविक विद्युत उपभोग की राशि के अन्तर की राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा वितरण निगमों को किया जायेगा।

तद्नुसार सामान्य कृषि श्रेणी के मीटर्ड सप्लाई उपभोक्ताओं (टेरिफ कोड–4000) से बिलिंग माह नवम्बर'2002 से वास्तविक उपभोग के आधार पर ही बिल की राशि वसूल की जायेगी। उक्त उपभोक्ताओं को जारी किये जाने वाले बिलों में पूर्व की भाँति मिनिमम बिलिंग की राशि के अन्तर को अलग से इंगित किया जायेगा, परन्तु उपभोक्ता को केवल वास्तविक उपभोग की राशि ही जमा करानी होगी। यदि उपभोक्ता वास्तविक उपभोग की राशि जमा नहीं कराता है तो टैरिफ के प्रावधानानुसार विलम्ब शुल्क अधिभार लगाया जायेगा। मिनिमम बिलिंग एवं वास्तविक उपभोग के अन्तर की राशि को भी बिल में दर्शाया जायेगा जिसका राज्य सरकार द्वारा विद्युत वितरण निगम को पुर्नभरण किया जायेगा। मिनिमम बिलिंग एवं वास्तविक उपभोग की राशि के अन्तर की राशि पर विलम्ब शुल्क अधिभार नहीं लगेगा और मिनिमम बिलिंग के विपत्र के अन्तर की राशि बकाया के रूप में आगामी विपत्रों में नहीं दर्शायी जायेगी।

उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय सलाहकार एवं लेखानियंत्रक, बिल बनाने वाली संस्थाओं को आवश्यक निर्देश जारी करेगें। इसके अतिरिक्त वे मिनिमम बिलिंग के अन्तर की राशि जिसका पुर्नभरण राज्य सरकार द्वारा किया जाना है, का क्लेम प्रति माह राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगें।

51/user-Tanwar,Steno/F.RE-circular

64

इस वित्तीय वर्ष में बिलिंग माह अक्टूम्बर'2002 तक पूर्व आदेशानुसार जारी किये गये बिलों का भुगतान उपभोक्ता द्वारा देय होगा।

26.x

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (पवस), अ.वि.वि.नि.लि,अजमेर।
2. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार एवं लेखानियंत्रक, अ.वि.वि.नि.लि,अजमेर।
3. श्रीमान् उप मुख्य अभियन्ता (पवस/वाणिज्य/ सतर्कता),अ.वि.वि.नि.लि, ...
4. अधीक्षण अभियन्ता (   ), अ.वि.वि.नि.लि, ...
5. उपसचिव (प्रशा. एवं का.– I/ II),अविविनिलि, अजमेर।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी (आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि., ...
7. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
8. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
9. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।

27/10/02

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

52/user-Tanwar,Steno/F.RE-circular